प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. **जिलाः**– ए.सी.बी. एस.यू. कोटा **थाना :–** प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या 45/2023 **दिनांक** 21/2/2023

2. (A) **'अधिनियम–**पी.सी.(संशोधित)एक्ट 2018 **धारायें–** 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018
(B) **'अधिनियम –** .....**'धारायें –** .....
(C) **'अधिनियम**.....**'धारायें**.....
(D) **'अन्य अधिनियम धारायें**.....

3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या**.....400.....**समय**.....5:30 P.M.
(ब) **अपराध घटने का दिन :–** सोमवार **दिनांक :–** 20.02.2023 **समय :–**10:14 एएम
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :** 11.01.2023 **समय** : 05:00 पीएम

4. **सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक** – लिखित (हस्तलिखित)

5. **घटना स्थलः–**
(अ) **पुलिस थाना/चौकी से दिशा व दूरीः–**बजानिब उत्तर पूर्व दिशा, लगभग 125 कि.मी.
(ब) **पता** :– कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सवाई माधोपुर
जरायम देही संख्या.....
(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**
पुलिस थाना – मानटाउन **जिला** – सवाई माधोपुर

6. **परिवादी/सूचनाकर्ता :–**
(अ) **नामः–** श्री शम्भूदत्त
(ब) **पिता का नाम** – श्री रामसुख
(स) **जन्म तिथी/ उम्र :–** 46 वर्ष
(द) **राष्ट्रीयता :–** भारतीय
(य) **पासपोर्ट संख्या**.....**जारी होने की तिथी**.....
जारी होने की जगह.....
(र) **व्यवसाय**– ठेकेदार
(ल) **पता** – जे0के0 सूरसागर, डी0सी0एम0 रोड़, कोटा

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–**
श्री प्रवीण सक्सैना पुत्र श्री शशि भूषण सक्सैना जाति कायस्थ उम्र 56 साल निवासी नगर सेठ के बाग के पीछे, गर्ल्स स्कूल रोड़, शहर सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (ए.ए.ओ.) प्रभारी विधि एवं जांच शाखा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सवाई माधोपुर

8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–**..... शून्य..

9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**

10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**. :– 50,000 रूपये .....

11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**.....

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–**

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.01.2023 को समय 05:00 पीएम पर परिवादी श्री शम्भूदत्त पुत्र श्री रामसुख जाति मेघवाल उम्र 46 साल निवासी जे0के0 सूरसागर, डी0सी0एम0 रोड़, कोटा मय उसकी पत्नी श्रीमति नटी बाई के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस एसीबी एसयू कोटा के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "प्रार्थी सूरसागर कोटा का रहने वाला है। प्रार्थी के समाज के स्व0 श्री प्रमोद कुमार से अच्छे सम्बन्ध थे तथा पैसे का लेनदेन भी था। इस कारण प्रार्थी का प्रमोद कुमार के घर आना जाना था। प्रमोद कुमार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी श्रीमति संजू मेघवाल ने मुझसे मकान खरीदने हेतु करिब 10 लाख रूपये उधार मांगे थे। मेरे पास 9.50 लाख की व्यवस्था थी, जो मैने उसको दे दिये, जिसकी एवज में संजू मेघवाल द्वारा मुझे चेक दे रखा है। कुछ समय पश्चात् मैनें संजू को पैसे लौटाने हेतु कहा तो उसने पैसे लौटाने से मना कर दिया तथा बलात्कार का केस लगाने की धमकी दी। मेरे द्वारा चेक संजू मेघवाल के बैंक खाते में केस लेने हेतु लगाया तो उसके खाते में राशि नहीं होने के कारण बैंक द्वारा खाते में राशि नहीं होने बाबत् लिख कर दिया। जिस पर मेरे द्वारा संजू मेघवाल के खिलाफ कोर्ट में केस किया गया, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। संजू मेघवाल द्वारा मुझे मरवाने के लिए हमला करवाया

गया। प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस थाना रेलवे कोलोनी में संजू मेघवाल व उसके परिचितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया। प्रकरण की जांच से पुलिस द्वारा संजू मेघवाल व अन्य के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर संजू मेघवाल के खिलाफ चालान पेश किया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा संजू मेघवाल को दोषी करार देते हुये जेल भेजा गया। कुछ समय पश्चात् संजू मेघवाल द्वारा एस.टी.सी. के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी हेतु आवेदन किया। योग्यता के अनुसार संजू मेघवाल की नियुक्ति अध्यापिका के पद पर सवाईमाधोपुर में हुई। जब मुझे यह पता चला कि संजू मेघवाल के जेल जाने के उपरान्त भी सरकारी पद पर नियुक्ति कैसे हुई तो मेरे द्वारा सवाई माधोपुर जिला शिक्षा अधिकारी को जांच करने हेतु संजू मेघवाल के विरूद्ध प्राप्त दस्तावेज लगाकर रिपोर्ट पेश की। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक ने एक जॉच कमेटी का गठन कराया। श्री प्रवीण सक्सेना भी जॉच कमेटी के सदस्य हैं, जिनसे मैं संजू मेघवाल के विरूद्ध निष्पक्ष जॉच करने हेतु मिला तो उन्होने संजू मेघवाल को आरोपी सिद्ध करने हेतु मुझसे 75,000 रूपये की रिश्वत की मांग की। श्रीमान जी मैं मेरे जायज काम के लिये श्री प्रवीण सक्सेना को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ बल्कि रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ, कार्यवाही करने की कृपा करें। मेरी प्रवीण सक्सेना से किसी प्रकार की रंजिश नहीं है, ना ही कोई उधारी का लेनदेन बकाया है।" परिवादी श्री शम्भूदत्त से उसके द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ की गई। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया एवं प्रार्थना में अंकित तथ्यों की ताईद की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरयाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु मालखाना प्रभारी श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 से कार्यालय के मालखाना से सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी श्री शम्भूदत्त को डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। परिवादी श्री शम्भूदत्त एवं उसकी पत्नी का कार्यालय में उपस्थित श्री अभिषेक कानि. 197 से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन की प्रक्रिया समझाई जाकर परिवादी को आरोपी के पास जाकर स्वयं के कार्य तथा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता कर वार्ता को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करने की समझाईश की गई। इस पर परिवादी ने कहा कि आज तो जिला शिक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर का कार्यालय बन्द हो गया होगा, आप कल दिनांक 12.012023 को श्री अभिषेक कानि. को आपके कार्यालय का सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर लेकर सवाईमाधोपुर भिजवा देना, हम उनको वहीं मिल जायेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में आरोपी के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु चले जायेंगे। इस पर परिवादी व श्री अभिषेक कानि. को आपस में एक दूसरे के मोबाईल नम्बर प्रदान करवाये गये तथा श्री अभिषेक कानि. को कल सुबह सवाईमाधोपुर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर लाने के निर्देश दिये गये। समय 05:50 पीएम पर परिवादी श्री शम्भूदत्त व उसकी पत्नी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने एवं दिनांक 12.01.2023 को श्री अभिषेक कानि. द्वारा सवाईमाधोपुर पहुंचकर जरिये मोबाईल सम्पर्क करने पर नियमानुसार रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने की आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। डिजीटल वॉईस रिकार्ड श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 को सुपुर्द कर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया।

दिनांक 12.01.2023 को समय 06:00 एएम पर श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 से कार्यालय के मालखाना से सरकारी सोनी डिजीटल वॉईस रिकार्डर एवं मेमोरी कार्ड Sandisk microSDHC Card 16 GB निकलवाया जाकर श्री अभिषेक कानि. 197 को सुपुर्द किया गया। श्री अभिषेक कानि. 197 को सवाईमाधोपुर पहुंचकर परिवादी श्री शम्भूदत्त से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर मिलकर आरोपी के पास जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में परिवादी को भिजवाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर लाने के निर्देश देकर सवाईमाधोपुर रवाना किया गया। समय 07:00 पीएम पर श्री अभिषेक कानि. 197 मय परिवादी श्री शम्भूदत्त एवं उसकी पत्नी के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। श्री अभिषेक कानि. 197 ने डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया, जिसे अपने पास रखा गया। रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बन्ध पूछने पर परिवादी श्री शम्भूदत्त ने बताया कि "आपके कार्यालय के श्री अभिषेक कानि. से मोबाईल पर हुई बातचीत अनुसार ये आज सुबह 10 बजे करीब मुझे सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर मिल गये थे। जहां से श्री अभिषेक कानि., मैं व मेरी पत्नी जिला शिक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय पर पहुंचे। समय 11 बजे करीब श्री अभिषेक जी ने आपके कार्यालय का सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू करके मुझे दिया। मैं मेरी पत्नी के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अन्दर चला गया व श्री अभिषेक कानि. बाहर ही रूक गये। मैं जांच कमेटी सदस्य श्री प्रवीण सक्सैना बाबु जी के पास पहुंचा तथा उनसे मेरे कार्य श्रीमति संजू मेघवाल के

विरूद्ध मेरे द्वारा की गई शिकायत पर उनके द्वारा की जा रही जांच के सम्बन्ध में बातचीत की तो उन्होने 60,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा पूरी राशि 60,000 रूपये कार्य होने के पश्चात् एक साथ देने के लिए कहा है, फिर मैनें उनसे संजू मेघवाल के निलम्बन आदेश एवं पुलिस वेरिफिकेशन के कागज मांगे तो उन्होने मुझे एक घण्टे बाद बुलाया। मैं पत्नी के साथ कार्यालय बाहर आया तथा श्री अभिषेक कानि. के पास पहुंचा एवं डिजीटल वॉइस रिकार्डर बन्द करवाया। इसके एक घण्टे बाद वापस श्री प्रवीण सक्सैना के पास जाने हेतु मैने श्री अभिषेक कानि. से पुनः डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू करवाकर मैं आरोपी के पास कार्यालय हेतु रवाना हुआ। मैनें आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना को कॉल किया जो उन्होने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर उनका कॉल आया तथा उन्होने मुझे 10 मिनट बाद उनके पास कार्यालय में अन्दर आने को कहा। थोड़ी देर बाद पुनः मैने उन्हे फोन कर ढाई बजे मेरी ट्रेन होने के बारे में बताया तो उन्होने मुझे अन्दर बुलाया। मैं प्रवीण सक्सेना जी के पास अन्दर पहुंचा तो उन्होने फाईल में से संजू मेघवाल का निलम्बन आदेश एवं पुलिस वेरिफिकेशन की फोटो खींचकर मुझे उपलब्ध करवा दी तथा रिश्वत राशि 60,000 रूपये पूरी एक साथ जांच पूर्ण होने के पश्चात् देने के लिए कहा। इसके पश्चात् मैं रवाना होकर कार्यालय के बाहर आया तथा मेरी पत्नी व श्री अभिषेक कानि. के साथ सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। श्री अभिषेक कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकार्डर बन्द करके उनके पास रख लिया था। फिर हम ट्रेन से रवाना होकर आपके कार्यालय पर वापस आये हैं। हमारी दोनों वार्ताऐं आपके डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई हैं, जो रिकार्डर अभी श्री अभिषेक कानि. ने आपको पेश कर दिया है।" श्री अभिषेक कानि. 197 से पूछने पर कानि. ने परिवादी के कथनो की ताईद की। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डी.वी.आर. चालू कर रिकार्ड दोनों वार्ताओं को सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्ठि हुई तथा आरोपी द्वारा परिवादी की शिकायत पर श्रीमति संजू मेघवाल के विरूद्ध जांच पूर्ण होने पर फोन कर सूचना देने तथा 60,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर जांच पूर्ण होने पर राशि 60,000 रूपये एक साथ लेने हेतु सहमत होकर रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। अतः समय 09:10 पीएम पर परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने एवं आरोपी द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करने की समझाईश कर परिवादी को मय उसकी पत्नी के रवाना किया गया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक 23.01.2023 को समय 12:45 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के मोबाईल पर कॉल कर परिवादी श्री शम्भूदत्त से वार्ता की गई तो बताया कि "मुझे अभी तक आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना ने मेरे मोबाईल पर कॉल नहीं किया है। मैं किसी काम से अभी नयापुरा की तरफ आ रहा हूँ तो मैं अभी कुछ देर में आपके कार्यालय पर ही उपस्थित हो जाउंगा।" परिवादी से हुई वार्ता अनुसार परिवादी श्री शम्भूदत्त कुछ समय में कार्यालय पर उपस्थित होने वाला है। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाने की कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान उप वन संरक्षक कोटा के नाम दो सरकारी कर्मचारी ट्रेप कार्यवाही हेतु बतौर स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध करवाने हेतु तहरीर श्री बबलेश कानि0 261 को देकर कानि0 को कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा रवाना किया गया। समय 01:05 पीएम पर श्री बबलेश कानि0 261 मय दो सरकारी कर्मचारीगण के कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा से कार्यालय हाजा वापस आया। दोनों कर्मचारीगण से उनका परिचय पूछा गया तो महिला कर्मचारी ने अपना नाम नीतूबाला पुत्री श्री बाबूलाल जाति धाकड़ उम्र 41 साल निवासी मधुवन कॉलोनी, सोगरिया, कोटा हाल वनपाल नाका प्रभारी भदाना कार्यालय उपवन संरक्षक, कोटा होना बताया। पुरूष कर्मचारी ने अपना नाम वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत उम्र 53 साल निवासी नटराज टॉकिज के पास, केन्द्रीय विद्यालय नम्बर–1 के पास, स्टेशन रोड़, थाना भीमगंजमण्डी, जिला कोटा हाल केटल गॉर्ड, नाका भदाना, कार्यालय उपवन संरक्षक, कोटा होना बताया। दोनों कर्मचारीगण को कार्यालय में बैठाया गया। समय 01:15 पीएम पर परिवादी श्री शम्भूदत्त कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्रीमति नीतूबाला वनपाल एवं श्री वीरेन्द्र सिंह केटल गार्ड का परिवादी श्री शम्भूदत्त से आपसी परिचय करवाया गया। रूबरू गवाहान परिवादी ने बताया कि "मुझे अभी तक आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना ने रिश्वत राशि के सम्बन्ध में मेरे मोबाईल पर कॉल नहीं किया है। दिनांक 12.01.2022 को मैं आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना के पास जिला शिक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय पर गया था। जिनसे मैने मेरे कार्य व रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत की थी। जिस पर उन्होने मुझसे 60,000 रूपये रिश्वत की मांग कर मेरा कार्य पूरा होने पर पूरी रिश्वत राशि 60,000 रूपये एक साथ देने के लिए कहा था। उन्होने मेरा कार्य पूरा हो जाने पर मुझे कॉल करके सूचना देने एवं तत्पश्चात् रिश्वत राशि देने के लिए कहा था किन्तु मेरे

पास अभी तक उनका कॉल नहीं आया है।" तत्पश्चात् परिवादी श्री शम्भूदत्त द्वारा दिनांक 11.01.2023 को प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो सरकारी कर्मचारीगण को पढ़कर सुनाया गया तथा कार्यवाही के संक्षिप्त हालात से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् दोनों कर्मचारीगण से होने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाहने पर दोनो कर्मचारियों ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् कार्यालय के मालखाना से सरकारी सोनी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड निकलवाया जाकर परिवादी श्री शम्भूदत्त एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्रीमति नीतूबाला वनपाल एवं श्री वीरेन्द्र सिंह केटल गार्ड के समक्ष कार्यालय के सोनी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड Sandisk microSDHC Card 16 GB में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम जो परिवादी श्री शम्भूदत्त, परिवादी की पत्नी श्रीमति नटी बाई एवं आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर के मध्य दिनांक 12.01.2023 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री दिलीप कुमार कानि0 401 से लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। उक्त रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री शम्भूदत्त ने एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज उनकी पत्नी श्रीमति नटी बाई की तथा तीसरी आवाज आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना वरिष्ठ सहायक की होना पहचान की। उक्त वार्ता की हु–ब–हु शब्द ब शब्द वार्ता रूपान्तरण करवाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम नियमानुसार तैयार करवाई जाकर प्रिन्ट निकलवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड Sandisk microSDHC Card 16 GB में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय जो परिवादी श्री शम्भूदत्त एवं आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर के मध्य दिनांक 12.01.2023 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री दिलीप कुमार कानि0 401 से लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा वार्ता की हु–ब–हु शब्द ब शब्द वार्ता रूपान्तरण करवाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय नियमानुसार तैयार करवाई जाकर प्रिन्ट निकलवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। वार्ता में आवाजो की पहचान परिवादी द्वारा की गई। समय 06:50 पीएम पर परिवादी श्री शम्भूदत्त ने बताया कि अभी आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना ने मेरे कार्य की पूर्णता एवं रिश्वत राशि के सम्बन्ध में मुझे कॉल नहीं किया है, वह जैसे ही मुझे मेरे कार्य अथवा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में कॉल करेंगे तो मैं तुरन्त आपको सूचित कर दूंगा। इस पर परिवादी श्री शम्भूदत्त को आरोपी से सम्पर्क होने पर तुरन्त मन् उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करने एवं गोपनीयता की समझाईश कर कार्यालय से रवाना किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को भी कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने एवं आवश्यकता होने पर तलब करने पर तुरन्त कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक 19.02.2023 को समय 03:50 पीएम पर राजकार्य से जयपुर मौजूद मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री शम्भूदत्त ने जरिये दूरभाष अवगत कराया कि "आरोपी प्रवीण सक्सैना मुझे बार बार रिश्वत राशि लेने के लिए कॉल कर रहा है। वह मुझे 60,000 रूपये उच्चाधिकारी के लिए एवं 20,000 रूपये स्वयं के लिए कुल 80,000 रूपये रिश्वत राशि लेकर उसके कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर पर बुला रहा है।" इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को दिनांक 20.02.2023 को प्रातः समय 05:45 एएम पर कार्यालय पर मय रिश्वत राशि उपस्थित होने की समझाईश की गई एवं जरिये दूरभाष कार्यालय के जाप्ता को दिनांक 20.02.2023 को प्रातः समय 05:45 एएम पर कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया तथा कार्यवाही के पूर्व से पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान सुश्री नीतूबाला एवं श्री वीरेन्द्र सिंह को भी पाबन्द करवाया गया।

दिनांक 20.02.2023 को समय 05:45 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस राजकार्य से जयपुर उपस्थित हूँ। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जरिये दूरभाष कार्यालय एसीबी एसयू कोटा पर सम्पर्क किया गया तो परिवादी श्री शम्भूदत्त, दोनों स्वतंत्र गवाहान सुश्री नीतूबाला एवं श्री वीरेन्द्र सिंह, एसीबी जाप्ता श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 123, श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158, श्री दिलीप कुमार कानि. 401, श्री लालचन्द कानि. 30, श्री बबलेश कुमार कानि. 261, श्री अभिषेक कानि. 197, श्री घनश्याम कानि./चालक कार्यालय पर उपस्थित आ गये है। दूरभाष पर परिवादी श्री शम्भूदत्त ने बताया कि "आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना ने मुझसे उच्चाधिकारी के लिए 60,000 रूपये एवं 20,000 रूपये स्वयं के लिए कुल 80,000 रूपये की रिश्वत की मांग की है किन्तु मुझसे आरोपी को रिश्वत में देने हेतु 50,000 रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है, मैं उसे आज 50,000

रूपये देकर शेष राशि बाद में देने के लिए राजी कर लूंगा। मैं व मेरी पत्नी श्रीमति नटी बाई आपके कार्यालय पर आ गये है।" इस पर परिवादी को आवश्यक समझाईश की गई। एसीबी जाप्ता को ट्रेप कार्यवाही के समस्त उपकरण, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि सरकारी वाहन में रखकर सवाई माधोपुर के लिए रवाना होने के निर्देश दिये गये। श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 को मालखाना से फिनोफ्थीन पाउडर की शीशी निकालकर सरकारी वाहन ट्वेरा के डेशबोर्ड में रखकर लाने के निर्देश दिये गये। समय 06:06 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जरिये दूरभाष कार्यालय पर सम्पर्क किया गया तो समस्त एसीबी टीम तैयार हो चुकी है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा एसीबी टीम को मन् टी.एल.ओ. को 08:30 एएम पर सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के निर्देश दिये गये। श्री किशनलाल उप निरीक्षक पुलिस अवकाशशुदा निवास नैनवा, बून्दी को भी समय 08:30 एएम पर सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित मिलने के निर्देश दिये गये। मन् उप अधीक्षक पुलिस भी जयपुर से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। समय 08:15 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। श्री किशनलाल उप निरीक्षक मन् उप अधीक्षक के पास रेलवे स्टेशन पहुंचे। एसीबी जाप्ता श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 123, श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158, श्री दिलीप कुमार कानि. 401, श्री लालचन्द कानि. 30, श्री बबलेश कुमार कानि. 261, श्री अभिषेक कानि. 197 मय परिवादी श्री शम्भूदत्त व उसकी पत्नी, दोनों स्वतंत्र गवाहान सुश्री नीतूबाला एवं श्री वीरेन्द्र सिंह मय सरकारी वाहन मय श्री घनश्याम कानि./चालक के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत की कार्यवाही तुरन्त की जानी है। अतः मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी व परिवादी की पत्नी, दोनों स्वतंत्र गवाहान, श्री किशनलाल उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 के साथ फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत की कार्यवाही के लिए सरकारी वाहन ट्वेरा से मय चालक श्री घनश्याम के गोपनीय स्थान हेतु रवाना हुआ। शेष एसीबी जाप्ता को रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर ही रूकने के निर्देश दिये गये। समय 08:30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री शम्भूदत्त व परिवादी की पत्नी श्रीमति नटीबाई, दोनों स्वतंत्र गवाहान सुश्री नीतूबाला एवं श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री किशनलाल उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 के साथ मय सरकारी वाहन मय चालक घनश्याम के गोपनीय स्थान दशहरा मैदान रोड़ सवाई माधोपुर पहुंचा। दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शम्भूदत्त पुत्र श्री रामसुख जाति मेघवाल उम्र 46 साल निवासी जे0के0 सूरसागर, डी0सी0एम0 रोड़, कोटा ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 2000–2000 के 23 नोट व 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 50,000 रूपये मन उप पुलिस अधीक्षक को पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है :–

S.NO.	नोट का प्रकार	नोट क्रमांक
1.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	3AH507166
2.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	0EB912029
3.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	4EQ183708
4.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	6DD818476
5.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	0FM016970
6.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	9DR127488
7.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	1CP023377
8.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	9MS394117
9.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	5BH376783
10.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	0CM245232
11.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	3DE046400
12.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	7DB670149
13.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	0CM017947
14.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	3BT203397
15.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	2MR725584
16.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	3AA530727
17.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	7HR582553
18.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	6DG782925
19.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	9KH111836
20.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	4KH227762
21.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	2BR129263

22.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	8GE885578
23.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	7BG367131
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2CQ622920
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5TF715311
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6GD448260
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3GB798685
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6KU197724
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0MV544001
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9DN575946
31.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1FU186407

श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 के द्वारा सरकारी वाहन ट्वेरा के डेशबोर्ड में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। गवाह श्री वीरेन्द्र सिंह से परिवादी श्री शम्भूदत्त की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बायीं साईड की जेब में रखवाये गये। एक कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी/संदिग्ध व्यक्ति इस फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि को अपने हाथों से प्राप्त करेगा अथवा छुयेगा तो उसके हाथों को इस प्रकार सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे नोटों को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे, आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9982469615 पर मिस कॉल कर इशारा करें। इसके बाद गिलास के धोवन को फिंकवाया गया। नोटो पर पाउडर लगाने मे काम मे लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। कार्यवाही में काम मे आने वाली कांच की शीशियों मय ढक्कन, कांच के गिलासों को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखें व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करें। प्रक्रिया में प्रयुक्त गिलास एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 को देकर कार्यालय एसीबी एसयू कोटा पहुंचने के निर्देश देकर रवाना किया गया। फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत पृथक से नियमानुसार तैयार की गई। फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री शम्भूदत्त व परिवादी की पत्नी श्रीमति नटीबाई, दोनों स्वतंत्र गवाहान सुश्री नीतूबाला एवं श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री किशनलाल उप निरीक्षक पुलिस मय सरकारी वाहन मय चालक घनश्याम के गोपनीय स्थान दशहरा मैदान रोड़ सवाई माधोपुर से रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर हेतु रवाना हुआ। समय 09:07 एएम पर उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री शम्भूदत्त व परिवादी की पत्नी श्रीमति नटीबाई, दोनों स्वतंत्र गवाहान सुश्री नीतूबाला एवं श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री किशनलाल उप निरीक्षक पुलिस मय सरकारी वाहन मय चालक घनश्याम के रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर पहुंचा। रिश्वत लेनदेन हेतु आरोपी से सम्पर्क हेतु परिवादी श्री शम्भूदत्त के मोबाईल नम्बर 8118874961 से आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना के मोबाईल नम्बर 8949235361 पर कॉल करवाया गया तथा परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर मोबाईल वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर

मय मेमोरी कार्ड Sandisk microSDHC Card 16 GB में रिकार्ड किया। वार्ता में आरोपी द्वारा स्वयं को आधे पौने घण्टे में स्वयं के कार्यालय पर पहुंचना तथा परिवादी को कार्यालय के नीचे उपस्थित रहने हेतु कहा गया, इस पर परिवादी द्वारा आरोपी से फोन करने के लिए कहा गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर के आस पास गोपनीय स्थान पर आरोपी का परिवादी के पास कॉल आने की प्रतीक्षा में मुकिम हुआ। पूर्व से रेलवे स्टेशन पर उपस्थित एसीबी जाप्ता को जरिये दूरभाष आस पास ही रहने के निर्देश दिये गये। समय 10:04 एएम पर आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना के मोबाईल नम्बर 8949235361 से परिवादी श्री शम्भूदत्त के मोबाईल नम्बर 8118874961 पर कॉल आया। जिसमें आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना द्वारा परिवादी को अकेले ही उसके कार्यालय पर बुलाया गया। उक्त मोबाईल वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड Sandisk microSDHC Card 16 GB में रिकार्ड किया गया। आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु उसके कार्यालय पर बुलाया गया एवं आरोपी का कार्यालय कुछ ही दूरी पर स्थित होने से समय 10:05 एएम पर परिवादी को सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड Sandisk microSDHC Card 16 GB चालू करवाकर उसकी पत्नी के साथ रिश्वत लेनदेन हेतु आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना के पास उसके कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक सवाईमाधोपुर पेदल पेदल रवाना किया गया। परिवादी के पीछे–पीछे श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री दिलीप कुमार कानि. 401, श्री अभिषेक कानि. 197, श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 123 एवं स्वतंत्र गवाह श्री वीरेन्द्र सिंह को पेदल–पेदल रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह सुश्री नीतूबाला एसीबी जाप्ता श्री लालचन्द कानि. 30, श्री बबलेश कानि. 261 मय सरकारी वाहन मय चालक के परिवादी व एसीबी जाप्ता के पीछे–पीछे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सवाई माधोपुर के बाहर पहुंचा। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के आरोपी के कार्यालय के बाहर अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये ट्रेप जाल बिछाया गया तथा परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे की प्रतीक्षा में मुकिम हुआ। समय 10:14 एएम पर परिवादी श्री शम्भूदत्त ने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सवाई माधोपुर के प्रथम तल पर सीढ़ियों के पास स्थित बरामदा में खड़े हुये ने अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान सुश्री नीतूबाला, श्री वीरेन्द्र सिंह एवं एसीबी जाप्ता श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 123, श्री दिलीप कुमार कानि. 401, श्री लालचन्द कानि. 30, श्री बबलेश कुमार कानि. 261, श्री अभिषेक कानि. 197 के तुरन्त उक्त कार्यालय की सीढ़िया चढ़कर परिवादी श्री शम्भूदत्त के पास बरामदे में पहुंचा। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री शम्भूदत्त मन् उप अधीक्षक पुलिस मय टीम को बरामदे में सीढ़ियों की तरफ वाले दाहिने साईड के प्रथम कक्ष में लेकर गया तथा वहां कक्ष में सफेद व हरी आड़ी धारीदार टी शर्ट एवं नीले रंग की जींस पहनकर कम्प्यूटर टेबल के पास कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि "यह श्री प्रवीण सक्सैना है जिन्होने मेरी शिकायत पर निष्पक्ष जांच करने की एवज में इनके अधिकारी के नाम पर मुझसे 60,000 रूपये की रिश्वत की मांग की थी तथा मुझसे अभी 50,000 हजार रूपये लिफाफे में रखवाकर प्राप्त कर स्वयं की कम्प्यूटर टेबल के पीछे लिफाफे को खिड़की में रखवाया हैं तथा मुझे 10,000 रूपये अधिकारी के लिए व 20,000 रूपये स्वयं के लिए कुल 30,000 रूपये और लेकर आने के लिए कहा है।" इस पर उक्त व्यक्ति कुर्सी से खड़ा हो गया, जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना व टीम का परिचय देकर आने के उद्देश्य से अवगत करवाते हुये उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम प्रवीण सक्सैना पुत्र श्री शशि भूषण सक्सैना जाति कायस्थ उम्र 56 साल निवासी नगर सेठ के बाग के पीछे, गर्ल्स स्कूल रोड़, शहर सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (ए.ए.ओ.) प्रभारी विधि एवं जांच शाखा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सवाई माधोपुर होना बताया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री प्रवीण सक्सैना से परिवादी श्री शम्भूदत्त से रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा तो श्री प्रवीण सक्सैना ने बताया कि मैने शम्भूदत्त से कोई रिश्वत नहीं मांगी है, और ना ही प्राप्त की है, इसने इसकी मर्जी से रूपये लिफाफे में रखकर मेरी कम्प्यूटर टेबल के पीछे खिड़की में रख दिये हैं। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री वीरेन्द्र सिंह से प्रवीण सक्सैना के कक्ष में स्वयं की कम्प्यूटर टेबल के पीछे की खिड़की में रखे उक्त लिफाफे को उठवाकर गवाह के पास ही सुरक्षित रखवाया गया। इस कार्यवाही के दौरान प्रवीण सक्सैना के कक्ष के बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। कार्यालय के अन्य कर्मचारीगण एवं आरोपी के मिलने वालों द्वारा कार्यवाही में व्यवधान डालने की पूर्ण आशंका के मध्येनजर रखते हुये आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना के दाहिने हाथ को श्री लालचन्द कानि. 30 एवं बायें हाथ को श्री

बबलेश कानि. 261 से कलाई के उपर से पकड़वाकर आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना को सरकारी वाहन टवेरा में बीच वाली सीट पर बैठाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व श्री किशनलाल उप निरीक्षक के सरकारी वाहन से थाना मानटाउन के लिए रवाना हुआ। परिवादी श्री शम्भूदत्त मय उसकी पत्नी श्रीमति नटी बाई एवं शेष जाप्ता श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 123, श्री दिलीप कुमार कानि. 401, श्री अभिषेक कानि. 197 को पास ही स्थित थाने पर पहुंचने के निर्देश दिये गये। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय डिटेनशुदा आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना दाहिना हाथ श्री लालचन्द कानि. 30 एवं बायां हाथ श्री बबलेश कानि. 261 द्वारा कलाई के उपर से पकड़े हुये मय श्री किशनलाल उप निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान के थाना मानटाउन पहुंचा। परिवादी मय उसकी पत्नी एवं शेष जाप्ता भी थाने पर उपस्थित आया। थाना मानटाउन प्रभारी श्री सुनील कुमार पुलिस निरीक्षक को एसीबी की ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाते हुये ट्रेप की कार्यवाही थाना मानटाउन में करने हेतु सहमति चाहने एवं कार्यवाही हेतु एक कमरा उपलब्ध करवाने हेतु सहमति चाही तो उनके द्वारा मौखिक सहमति देते हुये थाना परिसर में बने स्वागत कक्ष को उपलब्ध करवाया गया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी को उसके दोनों हाथ कलाई के उपर से पकड़े हुये जाप्ते मय परिवादी व उसकी पत्नी, स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता के थाना मानटाउन के स्वागत कक्ष में पहुंचकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। थाना परिसर से एक बोतल में साफ पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर दोनों गिलासों में सोडियम कार्बानेट पाउडर की शीशी में से एक–एक चम्मच पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित/रंगहीन रहा, जिसे सभी उपस्थितों को दिखाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपिरिवर्तित/रंगहीन होना बताया गया। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग बिल्कुल हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमशः RH-1, RH-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग बिल्कुल हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमशः LH-1 LH-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। स्वतंत्र गवाह श्री वीरेन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये रिश्वत राशि के लिफाफे का अवलोकन किया गया तो पीले रंग का लिफाफा रंगीन छपा हुआ जिस पर "राजकीय सेवार्थ विशेष आवरण" अंकित है, "बेटी बचाओ – बेटी पढ़ओ" हिन्दी व अग्रजी में छपा हुआ तथा "बेटी बचाओ – बेटी पढ़ओ" का मोनोग्राम लिफाफे के आगे व पीछे की ओर छपा हुआ तथा महिला अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर का विज्ञापन छपा हुआ है। उक्त लिफाफे को गवाह से दिखवाया गया तो लिफाफे में 2000 व 500 रूपये के नोट मिले। जिनको गवाह से गिनवाया गया तो 2000–2000 के 23 नोट एवं 500–500 के 8 नोट कुल 50,000 रूपये होना बताया गया। दूसरे गवाह सुश्री नीतूबाला को पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी नोट देकर दोनों गवाहान को उक्त बरामदशुदा राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का मिलान हुबहु होकर उक्त बरामदशुदा नोट रिश्वती राशि होना पाया गया। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक अन्य साफ कांच के गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बानेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित/रंगहीन रहा। तत्पश्चात् पीले रंग का रंगीन छपा हुआ लिफाफा जिसके अन्दर से रिश्वत राशि रखी हुई बरामद हुई, उक्त लिफाफा को अन्दर से रूई के फोहे से रगड़कर उक्त गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमशः E-1, E-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त पीले रंग के रंगीन छपे हुये लिफाफे जिससे रिश्वत राशि बरामद हुई, पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एवं रूई के फोहे को सुखाकर उक्त पीले लिफाफे में ही रखा जाकर लिफाफे को एक सफेद कपड़े की थेली में रखा जाकर सील चिट मोहर करवाकर कपड़े की थेली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिये गये। शील्ड पेकिट को मार्क–E दिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना ए.ए.ओ. से पुनः परिवादी से ली गई रिश्वत राशि 50,000 रूपयों के बारे में पूछा गया तो श्री प्रवीण सक्सैना ने बताया कि "मैने शम्भूदत्त से कोई रूपयों पैसों की मांग नहीं की है और ना ही मैने इसको राशि रखने के लिए लिफाफा दिया है, इसने मेरी अनुपस्थिति में कब ये रूपयों का लिफाफा मेरे कक्ष की खिड़की में रख दिया, मुझे इसकी

जानकारी नहीं है।" इस पर परिवादी श्री शम्भूदत्त ने आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि "मेरे व संजू मेघवाल के मध्य रूपयों के लेनदेन का आपसी विवाद चल रहा था। संजू मेघवाल ने मुझे मरवाने के लिए मुझ पर जानलेवा हमला करवाया था, जिसका मैने मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मुकदमें की जांच पूर्ण कर संजू मेघवाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया था तथा उसको जेल भिजवाया गया था। इसके पश्चात् संजू मेघवाल द्वारा उक्त प्रकरण के तथ्य छिपाते हुये शिक्षा विभाग में अध्यापिका की नौकरी प्राप्त कर ली। इस पर मैने उक्त प्रकरण के दस्तावेज संलग्न कर जिला शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर को शिकायत दी थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र पर जांच हेतु कमेटी गठित की थी। मैं जांच करवाने के सिलसिले में इन प्रवीण सक्सैना से मिला तो उन्होने संजू मेघवाल को आरोपी सिद्ध करवाने की एवज में मुझसे 75,000 रूपये रिश्वत की मांग की। मैं मेरे जायज काम के बदले श्री प्रवीण सक्सैना को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता था बल्कि रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता था। इसलिए मैनें दिनांक 11.01.2023 को आपके कार्यालय पर आकर आपको शिकायत पेश की थी। फिर आपके निर्देशानुसार मैं रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु श्री प्रवीण सक्सैना के पास दिनांक 12.01.2023 को सवाई माधोपुर आया तो इन प्रवीण सक्सैना ने मेरे द्वारा की गई शिकायत पर श्रीमति संजू मेघवाल के विरूद्ध शीघ्र जांच पूर्ण करवाने की एवज में 60,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा पूरी राशि 60,000 रूपये कार्य होने के पश्चात् एक साथ देने के लिए कहा गया, फिर मैनें इनसे संजू मेघवाल के निलम्बन आदेश एवं पुलिस वेरिफिकेशन के कागज मांगे तो इन्होने मुझे एक घण्टे बाद बुलाया। फिर उसी दिन एक डेढ़ घण्टे बाद मैं इनके पास वापस गया तो इन्होने कार्यालय में संजू मेघवाल का निलम्बन आदेश एवं पुलिस वेरिफिकेशन की फोटो खींचकर मुझे उपलब्ध करवाई थी। इनके कहेअनुसार ही आज मैनें इनको अभी रिश्वत राशि दी है। मुझसे इनको रिश्वत में देने हेतु 50,000 रूपयों की ही व्यवस्था होने से मैनें इनको 50,000 रूपये दिये तो इन्होने इनके कार्यालय से ही मुझे पीले रंग का रंगीन लिफाफा देकर रिश्वत राशि उसमें रखने के लिए कहा। इस पर मैने इनके द्वारा दिये गये लिफाफे में 50,000 रूपये रखकर इनके कहे अनुसार इनकी कम्प्यूटर टेबल के पीछे खिड़की में रखे थे। उसी दौरान इन्होने मुझसे शेष 10,000 रूपये अधिकारी के लिये व 20,000 रूपये स्वयं के लिए कुल 30,000 रूपये और तुरन्त लेकर आने के लिए कहा, इस पर मै ए.टी.एम. से 30,000 रूपये लेकर आने की कहकर इनके कार्यालय से बाहर आया तथा आपकी ओर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा कर दिया था, जिस पर आप मेरे पास आ गये।" कार्यवाही की फर्द बरामदगी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (ए.ए.ओ.) को रिकार्ड वार्ताओं के मुख्य मुख्य अंश सुनाये जाकर उसकी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बन्ध में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नोटिस दिया गया तो आरोपी ने मूल नोटिस पर ही अपने प्रतिउत्तर में अपने हस्तलेख से अंकित किया कि "मैं मेरी आवाज का नमूना सेंपल स्वेच्छा से नहीं देना चाहता हूँ।" नोटिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 02:30 पीएम पर आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना पुत्र श्री शशि भूषण सक्सैना जाति कायस्थ उम्र 56 साल निवासी नगर सेठ के बाग के पीछे, गर्ल्स स्कूल रोड़, शहर सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (ए.ए.ओ.) प्रभारी विधि एवं जांच शाखा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सवाई माधोपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जर्ये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेअनुसार मौके पर उपस्थित आये आरोपी के भतीजे श्री अक्षय सक्सैना को दी गई। आरोपी की जामा तलाशी गवाह श्री वीरेन्द्र सिंह से लिवाई गई तो अलावा पार्चजात पोशुदगी के एक मोबाईल विवो कम्पनी का एवं पर्स मिला। पर्स में विभागीय परिचय पत्र व 800 रूपये नगद मिले। जो आरोपी के कहेअनुसार मोबाईल व पर्स मय नगद राशि व परिचय पत्र के उसके भतीजे श्री अक्षय सक्सैना को सम्भलाये गये। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02:50 पीएम पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शम्भूदत्त एवं आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना के मध्य दिनांक 20.02.2023 को समय 09:07 एएम पर हुई मोबाईल वार्ता प्रथम जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड से श्री अभिषेक कानि. 197 से कार्यालय के लेपटॉप में लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों स्तवंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट हुबहु श्री अभिषेक कानि. 197 से तैयार करवाई जाकर प्रिन्ट निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03:25 पीएम पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के

समक्ष परिवादी श्री शम्भूदत्त एवं आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना के मध्य दिनांक 20.02.2023 को समय 10:04 एएम पर हुई मोबाईल वार्ता द्वितीय जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड से श्री अभिषेक कानि. 197 से कार्यालय के लेपटॉप में लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों स्तवंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट हुबहु श्री अभिषेक कानि. 197 से तैयार करवाई जाकर प्रिन्ट निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03:50 पीएम पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शम्भूदत्त एवं आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना के मध्य दिनांक 20.02.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड से श्री अभिषेक कानि. 197 से कार्यालय के लेपटॉप में लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों स्तवंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट हुबहु श्री अभिषेक कानि. 197 से तैयार करवाई जाकर प्रिन्ट निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04:30 पीएम पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड की गई वार्ताऐं (1) दिनांक 11.01.2023 को परिवादी शंभूदत्त को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चलाने की प्रक्रिया के दौरान असम्बन्धित रिकार्डिंग (2) दिनांक 12.01.2023 को परिवादी श्री शंभूदत्त एवं आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम (3) दिनांक 12.01.2023 को परिवादी श्री शंभूदत्त एवं आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय (4) दिनांक 20.02.2023 को परिवादी श्री शंभूदत्त एवं आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना के मध्य हुई मोबाईल वार्ता प्रथम (5) दिनांक 20.02.2023 को परिवादी श्री शंभूदत्त एवं आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना के मध्य हुई मोबाईल वार्ता द्वितीय (6) दिनांक 20.02.2023 को परिवादी श्री शंभूदत्त एवं आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना के मध्य वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता, उक्त छः वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप में श्री अभिषेक कानि. 197 से सेव करवाया जाकर एक–एक कर उक्त छः वार्ताओं को 04 पेन ड्राईव में लिवाया गया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड Sandisk microSDHC Card 16 GB को रिकार्डर से निकालकर मेमोरी कार्ड के कवर में रखवाया गया। प्रथम पेन ड्राईव एवं मेमोरी कार्ड को मय कवर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए, द्वितीय पेन ड्राईव आवाज नमूना कार्यवाही के लिये, तृतीय पेन ड्राईव आरोपी के लिये अलग–अलग कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपडे की थेली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। चतुर्थ पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। फर्द डबिंग वार्ता व जप्ति पेन ड्राईव नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05:00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री प्रवीण सक्सेना को श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि0, बबलेश कानि0 व अभिषेक कानि0 को निगरानी हेतु सुपुर्द कर मय जाप्ता श्री किशनलाल उ0नि0 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय वाहन सरकारी के नक्शा मौका की कार्यवाही हेतु घटनास्थल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक सवाई माधोपुर रवाना हुआ। घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों गवाहान की उपस्थिति व मौजूदगी, फरियादी शम्भूदत्त के ट्रेप कार्यवाही के घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नियमानुसार नक्शा मौका मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक में मौजूद जिला शिक्षा अधिकारी श्री गोविन्द दीक्षित को कार्यवाही हाजा से सम्बन्धित परिवादी की शिकायत पर संजू मेघवाल अध्यापिका से सम्बन्धित विभागीय जांच पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति चाहने हेतु पत्र दिया गया, जिस पर उनके द्वारा श्रीमति संजू मेघवाल अध्यापिका (निलम्बित) यू.पी.एस. खेड़ली कला, सवाई माधोपुर के विरूद्ध सम्पादित विभागीय जांच पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रतियां पेश की। जिन्हे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता के रवाना होकर समय 06:45 पीएम पर थाना मानटाउन वापस आया।

चूंकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व लेनदेन के वक्त आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना द्वारा उच्चाधिकारी के नाम पर रिश्वत की मांग करना स्पष्ट होने से आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना से उसके द्वारा किन उच्च अधिकारियों के लिये रिश्वत की मांग कर रिश्वत प्राप्त की गई, के बाबत् पूछताछ की गई तो सोच समझकर बताया कि "मैने किसी अधिकारी के लिए रिश्वत की मांग कर रिश्वत नहीं ली है, मैने तो मेरे स्वयं के लिये ही शम्भूदत्त की शिकायत पर शीघ्र जांच पूर्ण करवाने हेतु उक्त राशि ली थी। कार्यवाही हाजा में गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना को माननीय विशिष्ठ एवं सेशन न्यायाधीश भ्रष्टाचार

निवारण अधिनियम, भरतपुर में पेश किया जाना है। आज रात्रि नावक्त हो चुका है। इसलिए कार्यवाही हाजा में काम में लिये गये ट्रेप बॉक्स मय समस्त शील्डशुदा/बरामदशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाने हेतु मय लेपटॉप, प्रिन्टर के श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री दिलीप कुमार कानि. 401, श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 123, श्री अभिषेक कानि. 197, श्री लालचन्द कानि. 30 मय स्वतंत्र गवाहान के कोटा रवाना किया गया। परिवादी मय पत्नी को सकुशल रूखसत किया गया। हिदायत मुनासिब की गई। गिरफ्तारशुदा मुल्जिम श्री प्रवीण सक्सैना को थाना मानटाउन की हवालात में बन्द करवाया जावेगा।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (ए.ए.ओ.) प्रभारी विधि एवं जांच शाखा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सवाई माधोपुर द्वारा परिवादी श्री शम्भूदत्त से श्रीमति संजू मेघवाल अध्यापिका के विरूद्ध की गई शिकायत पर निष्पक्ष जांच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही करवाने की एवज में उच्चाधिकारी के लिये 75,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी की शिकायत पर दिनांक 12.01.2023 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना दौराने सत्यापन 60,000 रूपये रिश्वत लेने हेतु सहमत हुआ। इस पर आज दिनांक 20.02.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया जिसमें आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना द्वारा 50,000 रूपये लिफाफे में रखवाकर बतौर रिश्वत प्राप्त करना, 10,000 रूपये और अधिकारी के लिए एवं 20,000 स्वयं के लिए कुल 30,000 रूपये तुरन्त लाकर देने के लिए कहना, रिश्वत राशि 50,000 रूपये आरोपी के कब्जे से उसकी कम्प्यूटर टेबल के पीछे की खिड़की से बरामद होना, आरोपी के दोनों हाथों के धोवन का रंग बिल्कुल हल्का गुलाबी आना, आरोपी के कब्जे से मिले पीले रंग के लिफाफे जिससे रिश्वत राशि बरामद होना, लिफाफे अन्दर के स्थान के चिन्दी के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने से आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना पुत्र श्री शशि भूषण सक्सैना जाति कायस्थ उम्र 56 साल निवासी नगर सेठ के बाग के पीछे, गर्ल्स स्कूल रोड़, शहर सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (ए.ए.ओ.) प्रभारी विधि एवं जांच शाखा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी श्री प्रवीण सक्सैना अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (ए.ए.ओ.) प्रभारी विधि एवं जांच शाखा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सवाई माधोपुर के विरुद्ध जुर्मधारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(धर्मवीर सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट., कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री धर्मवीर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री प्रवीण सक्सैना, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (ए.ए.ओ.), प्रभारी, विधि एवं जाँच शाखा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 45/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(सवाई सिंह गोदारा)
महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक-: 353-56 दिनांक 21.02.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा।

21/2/23
महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।